

Bill No. 16 of 2013

**THE RAJASTHAN NURSES, MIDWIVES, HEALTH
VISITORS AND AUXILIARY NURSE-MIDWIVES
REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2013**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A
Bill*

further to amend the Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse-Midwives Registration Act, 1964.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse-Midwives Registration (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 9 of 1964.- In section 25 of the Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse-Midwives Registration Act, 1964 (Act No. 9 of 1964), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression “three hundred rupees”, the expression “thirty thousand rupees” shall be substituted.

3. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 9 of 1964.- In sub-section (2) of section 29 of the principal Act, for the existing expression “appoint a sub-committee of not less than three or more than five members of the Council”, the expression “appoint such number of inspectors whether from among members of the Council or otherwise as it deems necessary” shall be substituted.

4. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 9 of 1964.- In section 31 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the existing expression “three hundred rupees”, the expression “thirty thousand rupees” shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the existing expression “two hundred rupees”, the expression “twenty thousand rupees” and for the further existing expression “five hundred rupees”, the expression “fifty thousand rupees” shall be substituted; and

(c) in sub-section (3), for the existing expression “one hundred rupees”, the expression “ten thousand rupees” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse-Midwives Registration Act, 1964, *inter alia*, regulates registration of the qualified nurses etc. and prohibits unregistered persons from practising as such. Sections 25 and 31 of said Act declare certain acts to be offences and pecuniary penalties are also provided in these sections for such offences, and for contravention of any of the provisions of the said Act or the rules or regulations made thereunder. Since these penalties were provided for very long back in the Year 1964 when the Act came into force, the amount of fine is very meagre like rupees one hundred, two hundred, three hundred and five hundred for different offences. Therefore, it is proposed to enhance the amount of fine suitably by amending the existing sections 25 and 31 of the said Act.

Section 29 of the said Act provides for appointment of a sub-committee for inspection of nursing schools and colleges comprising of not less than three or more than five members of the Council. It restricts the number of members of such committee up to five, as also confines its composition to the members of the Council only. At present over 250 Nursing schools and colleges are there in the State in private sector. Inspection of these institutions requires more teams of skilled and expert persons. Hence it is proposed to amend sub-section (2) of section 29 of the said Act to empower the Council to appoint inspectors in such number and from amongst its members or from outside, as may be deemed necessary for the purpose of inspection.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

एमादुद्दीन अहमद खान(दुर्ल मियां),

Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN NURSES,
MIDWIVES, HEALTH VISITORS AND AUXILIARY
NURSE-MIDWIVES REGISTRATION ACT, 1964**
(Act No. 9 of 1964)

XX XX XX XX XX XX

25. Power of the State Government to prohibit unregistered nurses, midwives, health visitors and auxiliary nurse-midwives.- The State Government may, by notification published in the Official Gazette, prohibit unregistered persons from practicing as nurses, midwives, health visitors and auxiliary nurse-midwives, and any unregistered person practicing in contravention of such notification shall be liable, on conviction by a Magistrate of the First Class, to a fine not exceeding three hundred rupees.

XX XX XX XX XX XX

29. Power of Council to call for information from institutions etc.- (1) xx xx xx xx xx xx

(2) The Council shall have power to inspect any such institution and may for the purpose appoint a sub-committee of not less than three or more than five members of the Council to inspect the same and submit a report in regard thereto to the Council.

XX XX XX XX XX XX

31. Offences, penalties and procedure.- (1) Any person who:-

(a) dishonestly makes use of any certificate of registration issued to him or to any other person under this Act and the rules and regulations made thereunder, or

(b) procures or attempts to procure registration under this Act and the rules and regulations made thereunder by making or producing or causing to be made or produced any false or fraudulent declaration, certificate or representation, whether in writing or otherwise, or

(c) fraudulently procures or attempts to procure the entry of a new title or qualification under section 20, or

(d) wilfully makes or causes to be made any falsification in the registers maintained or in the certificates issued under this Act and the rules and regulations made thereunder, or

(e) being the secretary, manager or other officer of any recognised institution referred to in clause (5) of section 24, issues, or authorises the issue of, a certificate to any person or enters, or authorises, the entry of, the name of such person in contravention of the provision contained in section 26,

shall, on conviction, be punished with fine which may extend to three hundred rupees.

(2) Any person who, not being a nurse, midwife, health visitor or auxiliary nurse-midwife registered under this Act and the rules and regulations made thereunder,-

(a) assume or uses the name or title of a registered nurse or a registered health visitor or a registered auxiliary nurse-midwife, as the case may be, or

(b) use any name, title, addition, description or sign board implying that such person is a registered nurse or a registered midwife, or registered health visitor or a registered auxiliary nurse-midwife as the case may be,

shall, on conviction, be punished with fine not exceeding two hundred rupees in the case of a first offence and with fine not exceeding five hundred rupees in the case of a second or any subsequent offence.

(3) Any person who contravenes any of the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder shall, if such contravention does not fall within the provisions of sub-sections (1) and (2), be punished, on conviction, with fine which may extend to one hundred rupees.

(4) to (5)	xx	xx	xx	xx	xx
XX	XX	XX	XX	XX	XX

2013 का विधेयक संख्या 16**(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)****राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई****रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013****(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1964 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1964 के राजस्थान अधिनियम सं.9 की धारा 25 का संशोधन.- राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम सं.9), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 25 में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन सौ रुपयों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1964 के राजस्थान अधिनियम सं.9 की धारा 29 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "परिषद् अपने कम से कम तीन सदस्यों अथवा अधिक से अधिक पांच सदस्यों की एक उप-समिति," के स्थान पर अभिव्यक्ति "परिषद् इतनी संख्या में निरीक्षकों, चाहे अपने सदस्यों में से या अन्यथा, जैसाकि वह आवश्यक समझे, की एक उप-समिति," प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1964 के राजस्थान अधिनियम सं.9 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 31 में,-

- (क) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “तीन सौ रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “तीस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “दो सौ रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बीस हजार रुपये” और आगे विद्यमान अभिव्यक्ति “पांच सौ रुपयाँ” के स्थान पर अभिव्यक्ति “पचास हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ग) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “एक सौ रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “दस हजार रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1964, अन्य बातों के साथ, अहित नर्सों इत्यादि के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करता है और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए इस प्रकार का व्यवसाय करने का प्रतिषेध करता है। उक्त अधिनियम की धारा 25 और 31 कतिपय कार्यों को अपराध घोषित करती हैं और इन धाराओं में, ऐसे अपराधों और उक्त अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन के लिए, धनीय शास्तियां भी उपबंधित की गयी हैं। चूंकि ये शास्तियां बहुत पहले 1964 में, जब यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ था तब उपबंधित की गयी थीं, विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने की रकम बहुत मामूली है जैसेकि एक सौ रुपये, दो सौ रुपये, तीन सौ रुपये और पांच सौ रुपये आदि। इसलिए, उक्त अधिनियम की विद्यमान धारा 25 और 31 को संशोधित करके जुर्माने की रकम को यथोचित रूप से बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 29, नर्सिंग विद्यालयों और महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए परिषद् के कम से कम तीन अथवा अधिक से अधिक पांच सदस्यों से मिलकर बनी हुई एक उप-समिति की नियुक्ति के लिए उपबंध करती है। यह धारा ऐसी उप-समिति के सदस्यों की संख्या को पांच तक सीमित करती है और साथ ही, इसके गठन को भी केवल परिषद् के सदस्यों तक ही सीमित करती है। वर्तमान में, राज्य में 250 से अधिक नर्सिंग विद्यालय और महाविद्यालय प्राइवेट सेक्टर में हैं। इन संस्थाओं के निरीक्षण के लिए कुशल और विशेषज्ञ व्यक्तियों के अधिक दलों की आवश्यकता है। इसलिए, परिषद् को, ऐसी संख्या में, और उसके सदस्यों में से या बाहर से, जैसाकि निरीक्षण के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझा जाये, निरीक्षक नियुक्त करने के लिए सशक्त करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

एमादुद्दीन अहमद खान(दुर्ल मियां),
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम सं.9) से लिये
गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

25. अरजिस्ट्रीकृत नर्सों, दाईयों, स्वास्थ्यवीक्षिकाओं तथा सहायक नर्स-दाईयों को प्रतिषेध करने की राज्य सरकार की शक्ति.- राज्य सरकार, राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को नर्सों, दाईयों के रूप में व्यवसाय करने का प्रतिषेध कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के उल्लंघन में व्यवसाय करने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दोष-सिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो तीन सौ रुपयों से अधिक का नहीं होगा।

XX XX XX XX XX XX

29. परिषद् की संस्थाओं आदि से सूचना मांगने की शक्ति.- (1) XX XX

XX XX XX XX XX XX

(2) परिषद् को किसी ऐसी संस्था का निरीक्षण करने की शक्ति होगी और उक्त प्रयोजनार्थ परिषद् अपने कम से कम तीन सदस्यों अथवा अधिक से अधिक पांच सदस्यों की एक उप-समिति, उक्त संस्था का निरीक्षण करने और उसके बारे में परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

XX XX XX XX XX XX

31. अपराध, शास्त्रियां और प्रक्रिया.- (1) कोई व्यक्ति जो-

(क) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों के अधीन उसे या किसी अन्य व्यक्ति को जारी किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का बेईमानी से प्रयोग करता है, या

(ख) कोई मिथ्या या कपट पूर्ण घोषणा, प्रमाण-पत्र या अभ्यावेदन चाहे लिखित में अथवा अन्यथा करके या करवा

कर या पेश कर या पेश करवा कर इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, या

(ग) धारा 20 के अधीन कोई नई उपाधि या अहंता कपटपूर्ण रूप से दर्ज कराता है या दर्ज कराने का प्रयत्न करता है, या

(घ) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गए नियमों और विनियमों के अधीन संधारित रजिस्टरों में या जारी किये गये प्रमाण-पत्रों में जान-बूझकर कोई मिथ्याकरण करता है या करवाता है, या

(ङ) धारा 24 के खण्ड (5) में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था का सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी होते हुए, धारा 26 में अन्तर्विष्ट उपबंध के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को कोई प्रमाण-पत्र जारी करता है या उसका जारी किया जाना प्राधिकृत करता है अथवा ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज करता है या दर्ज किया जाना प्राधिकृत करता है-

तो दोषसिद्धि पर वह ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो तीन सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों और विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत नर्स, दाई, स्वास्थ्यवीक्षिका या सहायक नर्स-दाई न होते हुए भी-

(क) एक रजिस्टर्ड नर्स या एक रजिस्ट्रीकृत स्वास्थ्यवीक्षिका या एक रजिस्ट्रीकृत सहायक नर्स-दाई, यथास्थिति, का नाम या उपाधि धारण या प्रयोग करे, या

(ख) किसी ऐसे नाम, उपाधि, परिवर्धन, वर्णन या साइन बोर्ड का प्रयोग करे जिससे यह उपलक्षित हो कि ऐसा व्यक्ति एक रजिस्ट्रीकृत नर्स, एक रजिस्ट्रीकृत दाई, रजिस्ट्रीकृत स्वास्थ्यवीक्षिका अथवा एक रजिस्ट्रीकृत सहायक नर्स-दाई, यथा स्थिति है,

तो उसे दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से जो दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा और द्वितीय या किसी पश्चातवर्ती

अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, जो पांच सौ रुपयों से अधिक न होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गये नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करे, यदि ऐसा उल्लंघन उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों के अन्तर्गत न आता हो तो उसे दोष सिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा।

(4) से (5) **XX** **XX** **XX** **XX** **XX**

XX **XX** **XX** **XX** **XX** **XX**

2013का विधेयक सं.16

राजस्थान नर्स, दाइ, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाइ

रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1964 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(एमाटुद्दीन अहमद खान(टुर्क मियां) ,प्रभारी मंत्री)

Bill No. 16 of 2013

**THE RAJASTHAN NURSES, MIDWIVES, HEALTH
VISITORS AND AUXILIARY NURSE-MIDWIVES
REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2013**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse-Midwives Registration Act, 1964

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHAstry,
Special Secretary.

(Aimaduddin Ahmad Khan(Durru Miyan), **Minister-Incharge**)